संo–   /XXVIII–5–2015–71/2014

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5   देहरादूनः   दिनांकः 12 फरवरी, 2015

विषय–वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत अधिष्ठान मदों हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदानों द्वारा स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–983/XXVII(1)/2014 दिनांक 11.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत अधिष्ठान मदों हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदानों द्वारा स्वीकृत धनराशि को आयोजनेत्तर मद में **₹300.00** लाख **(रूपये तीन करोड़ मात्र)** संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षकवार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008 दिनाक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
7. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

..................2

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनु
संख्या–12, के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के
डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 983/XXVII(1)/2013 दिनांक 11.12.20
के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : एलाटमेन्ट आई0डी0 सं0–S1502120106

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचि

सं0–299 (1)/XXVIII–5–2014–71/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानिदेशालय, देहरादून
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचि

शासनादेश सं0 279 / XXVIII–5–2015–71 / 2014 दिनांक 12 फरवरी, 2015 का संलग्नक

(धनराशि हजार ₹ मे)

क्र. स.	लेखाशीर्षक	स्वीकृत अनुपूरक बजट
1	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
	01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति	
	110–अस्पताल तथा औषधालय	
	03–एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय	
	39–औषधि तथा रसायन	30000
	योग	**30000**

(₹ तीन करोड़ मात्र)

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव